राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः NHM/RCH/JSY/DBT/2015/158 दिनांकः 21/7/2015

परिपत्र

जिला कलक्टर, समस्त जिले
संयुक्त निदेशक (समस्त संभाग)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार जननी सुरक्षा योजना एवं शुभलक्ष्मी के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का परिलाभ प्रथम चरण में 1 अगस्त, 2015 से समस्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर **31 जुलाई, 2015 रात्रि 12:00 बजे से होने वाले प्रसवों पर लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जावेगा।** इसे सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु नवीन दिशा–निर्देश इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश कमांक 752 दिनांक 20.03.2015 एवं 2480 (CSR) दिनांक 22.04.2015 के अतिक्रमण में तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैः–

नये एएनसी केसेज

1. नये पंजीकृत किये जाने वाले एएनसी केसेज का पंजीकरण के समय ही बैंक खाता संख्या तथा बैंक शाखा का नाम शत प्रतिशत प्राप्त किया जावें एवं सूचनाओं को ममता कार्ड व पीसीटीएस में इन्द्राज किया जावें। जहां तक संभव हो भामाशाह एवं आधार पहचान संख्या भी प्राप्त कर इन्द्राज करे।
2. जिन लाभार्थी का वर्तमान में बैंक खाता नहीं है, उनका खाता तुरन्त खुलवाया जाना सुनिश्चित करें एवं अधीनस्थ क्षेत्र की एएनएम एवं आशा की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे सभी लाभार्थी गर्भवती महिलाओं का बैंक खाता खुलवाते हुए सूचनाएं पीसीटीएस पर इन्द्राज करावें।
3. प्रत्येक एएनसी चैकअप के समय लाभार्थी को बैंक खाता खुलवाने हेतु आशा/एएनएम द्वारा प्रेरित किया जावें एवं पास बुक की छाया प्रति प्राप्त कर पीसीटीएस में सही बैंक खाता नम्बर इन्द्राज करवाया जावें।
4. **प्रसूति नियोजन दिवस** जो कि प्रत्येक उपकेन्द्र, पीएचसी, सीएचसी पर प्रतिमाह संस्थागत प्रसव हेतु अतिआवश्यक तैयारियों की जानकारी देने हेतु संपादित किया जावेगा इसमें प्रत्येक गर्भवती **महिला को प्रसव के समय बैंक खाता संख्या, बैंक की शाखा के नाम के साथ–साथ पहचान हेतु भामाशाह/आधार/परिवार राशन कार्ड में से कोई एक साथ लेकर जाने हेतु अवश्य याद दिलावे।**
5. माह अगस्त, 2015 से जिन आशा सहयोगिनी के लाभार्थियों के बैंक खाते की सूचना पीसीटीएस में इन्द्राज नहीं होगी उन प्रसूताओं की एएनसी एवं संस्थागत प्रसव में देय प्रेरक राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। अतः इसका विशेष ध्यान रहे।
6. बैंक खाते की सूचना प्राप्त कर पी.सी.टी.एस. में इन्द्राज कराने पर आशा को प्रति लाभार्थी 5 रू. प्रोत्साहन राशि बजट मद A.1.3.3 से दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु आदेश कमांक 110 दिनांक 07.04.2015 जारी किया जा चुका है।
7. पीसीटीएस में इन्द्राज के समय लाभार्थी का मोबाइल नम्बर भी आवश्यक रूप से इन्द्राज करावा जावें ताकि समय–समय पर Text Message/ Voice Message प्रसारित किये जा सके एवं बैंक से राशि हस्तान्तरित होने के पश्चात् लाभार्थी के मोबाइल पर सूचना भी दी जा सकेगी।
8. क्षेत्र के खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, [illegible] सुपरवाईजर, [illegible] हैल्थ सुपरवाईजर व एलएचवी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन सभी लाभार्थी गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते खुलवा लिये है एवं

पीसीटीएस में आवश्यक सूचनाएं इन्द्राज करवा दी गई है इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेगें एवं स्वयं जिम्मेदार रहेगें।

संभावित प्रसव केसेज

9. माह अगस्त, 2015 से ही प्रतिमाह संभावित प्रसव (due cases for delivery) की सूची पीसीटीएस से डाउनलोड करके उनका प्रसव से पूर्व बैंक खातों की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण है सुनिश्चित कर लिया जावे. लाभार्थी पास बुक की छाया प्रति प्रसव के समय संस्थान पर साथ लेकर जावें इस हेतु बार–बार याद दिलावे एवं स्थानीय अखबारों में नियमित प्रेस नोट जारी करते रहे व आईईसी के माध्यम से पूर्ण प्रचार–प्रसार किया जावे।
10. उपरोक्त के बावजूद भी यदि चिकित्सा संस्थानों पर जो लाभार्थी बिना बैंक खाते की जानकारी लेकर आये है उन्हें जानकारी लाने हेतु कहा जावे अथवा फोन पर घर से सूचना लेने को कहे।
11. ऐसे लाभार्थी जिनका बैंक खाता ही नहीं है, उनका संस्था प्रभारी द्वारा फोटो पहचान पत्र बनाकर प्रमाणित करें एवं नजदीकी शाखा में बैंक खाता खुलवाने हेतु प्रेरित करें, नजदीकी Core बैंक में Zero Balance पर खाता खोला जायेगा। जिला कलक्टर जिले में लीड बैंक को इस संबंध में निर्देश दे जिसके लिए विडियो कॉन्फ्रेसिंग दिनांक 14.07.2015 को निर्देशित किया गया है, यदि उस स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है उनसे MOU के आधार पर बैंक खाता खुलवाने हेतु सम्पर्क करे।
12. जो लाभार्थी पूर्व से ही पीसीटीएस में रजिस्टर्ड है उनकी क्लेम फॉर्म के J-1 भाग से संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध होगी इन्हे अपडेट करते हुए J-2 फॉर्म में भुगतान प्रक्रिया की जावेगी।
13. जिन लाभार्थी का पीसीटीएस इन्द्राज नहीं है उनका प्रसव के समय उसी संस्थान पर पीसीटीएस में रजिस्ट्रेशन किया जावेगा इस हेतु पीसीटीएस में पृथक से व्यवस्था कर दी गई है और इनका क्लेम फॉर्म के J-1 भाग में भी समस्त सूचनाएं तुरन्त भरी जावेगी।
14. आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप तुरन्त निम्न प्रारूप में माह अगस्त एवं सितम्बर 2015 की पीसीटीएस से due cases for delivery की Line list print out निकलवाकर संबंधित एएनएम एवं आशा को उपलब्ध कराते हुए बैंक खाता संख्या प्राप्त कर पासबुक की छायाप्रति के साथ पीसीटीएस पर इन्द्राज किया जावें।

क्र. स.	लाभार्थी का नाम	पति का नाम	गांव	बैंक खाता संख्या	आधार नम्बर	भामाशाह नम्बर	मोबाइल नम्बर	प्रसव की संभावित दिनांक

15. समस्त लेखा कार्मिकों को पाबन्द किया जावे कि वे Online Payment सुनिश्चित करावें एवं बैंक खाता खुलवाने हेतु लाभार्थी को प्रेरित कर सहयोग प्रदान करें।
16. उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं निजी अधिकृत अस्पताल स्तर के प्रसूता लाभार्थी को भुगतान अग्रिम आदेश तक वर्तमान व्यवस्था अनुसार ही किया जाता रहेगा, इसका विवरण वर्तमान में पृथक से ऑफलाइन रिकॉर्ड में संधारण किया जावेगा।
17. जिलो में आवश्यकता से अधिक जेएसवाई टिकिट उपलब्ध करवाये जा चुके है जिनमें क्लेम फॉर्म भी उपलब्ध है। यदि किसी कारणवश जेएसवाई टिकिट उपलब्ध नही है तो भुगतान हेतु J-1 एवं J-2 प्रारूप की छायाप्रति कर उपलब्ध कराया जावे तथा तुरन्त जिला स्तर से टिकिट की मांग की जावे।

रेफरल ट्रांसपोर्ट भुगतान

18. लाभार्थी को संस्थान तक आने व जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें मुख्यतः तीन मुख्य संभावनाओं के आधार पर कार्यवाही की जानी है।
    - संभवतया आना व जाना राजकीय सुविधा 104/108/बैस एम्बूलेन्स/निजी अधिकृत एम्बूलेन्स द्वारा – कोई भुगतान नहीं
    - आने अथवा जाने में एक तरफ प्राइवेट वाहन का उपयोग – केवल प्राइवेट वाहन का भुगतान।
    - आने व जाने दोनो स्थितियों में प्राइवेट वाहन का उपयोग – अर्थात् दोनों तरफ का परिवहन भुगतान।

19. भारत सरकार द्वारा पीआईपी 2015–16 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि समस्त प्रसूताओं को लाने व ले जाने हेतु निःशुल्क राजकीय परिवहन सेवाएं ही उपलब्ध कराई जावे। अतः आपातकालीन स्थिति में निजी वाहनों की सेवाएं अधिकतम 10 प्रतिशत कुल परिवहन के विरूद्ध आगामी आदेश तक ली जा सकती है, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
20. लाभार्थी को इस भुगतान की गणना नियमानुसार जेएसवाई में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

भुगतान प्रक्रिया

21. जेएसवाई व शुभलक्ष्मी लाभार्थी द्वारा प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु चिकित्सा संस्थान पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र (JSY Claim Form) के निम्न में दो भागों में सूचनाएं एकत्रित की जावेगी।

    - **प्रथम भाग J-1 में** अतिआवश्यक सूचनाएं पूर्व रजिस्टर्ड केस की स्थिति में पीसीटीएस में उपलब्ध रहेगी तथा नये पंजीकरण में लाभार्थी/परिजन/निकट संबंधी द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगीं।
    - **द्वितीय भाग J-2 में** संस्थान से प्रसव संबंधी सूचनाओं के साथ–साथ लाभार्थी की पीसीटीएस में उपलब्ध सूचनाओं का इन्द्राज कर भुगतान किया जावेगा।

22. महिला का प्रसव होते ही सभी आवश्यक सूचनाओं का इन्द्राज प्रारम्भ किया जाकर प्रविष्टियों को सॉफ्टवेयर में सुरक्षित कर लिया जावे ताकि छुट्टी के समय लाभार्थी को अनावश्यक विलम्ब ना हो।
23. जिन प्रसूताओं ने जीवित बालिका/बालिकाओं को जन्म दिया है उन्हें शुभलक्ष्मी योजना का लाभ राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का सत्यापन (पूर्व प्रक्रिया अनुसार) कर प्रथम किश्त की राशि भी ऑनलाईन ही दे दी जावेगी।
24. सभी आवश्यक सूचनाएं इन्द्राज के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्रतिदिन क्लेम फॉर्म का आवश्यक सत्यापन कर भुगतान हेतु राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु अनुशंषा जारी करेगें इस हेतु प्रत्येक संस्थान पर दो अधिकारियों को भुगतान स्वीकृति हेतु अधिकृत किया जायेगा।
25. प्रतिदिन होने वाले प्रसवों के विवरण का इन्द्राज उसी दिन किया जाना चाहिए, इन्द्राज किये गये केसेज का भुगतान की स्वीकृति 48 घंटे ठहराव के बाद रात 12:00 बजे तक किया जा सकेगा। रात 12:00 बजे पश्चात् किये जाने की स्थिति में भुगतान अगले दिन की स्वीकृति में गणना होगी।
26. संस्थान प्रभारी की यह जिम्मेदारी रहेगी कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह का विलम्ब नही हो एवं किसी कार्मिक के अवकाश की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करे, यह प्रविष्टियां अन्य योजना के कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखाकर्मी अथवा कार्यरत लिपिक द्वारा भी आसानी से की जा सकती है।
27. चिकित्सा संस्थान प्रभारी की अनुशंषा राज्य स्तर पर प्राप्त होने के पश्चात् राज्य स्तर से प्रतिदिन Random Validation करने के बाद भुगतान जारी कर दिया जायेगा।
28. बैंक से राशि खाते में जमा होने की सूचना दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से लाभार्थी को प्राप्त हो जावेगी।
29. भुगतान किये गये केसेज का प्रतिदिन PDF फाईल का प्रिन्ट आउट निकालकर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए नियमानुसार रिकॉर्ड का संधारण प्रत्येक चिकित्सा संस्थान पर किया जायेगा।
30. चूंकि राज्य स्तर से भुगतान संस्था प्रभारी के प्रमाणिकरण कर स्वीकृति की अनुशंषा के आधार पर किया जा रहा है। अतः किसी भी कारण से होने वाले गलत भुगतान की स्थिति में संस्था प्रभारी की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी।
31. अगर प्रसव के बाद प्रसूता अथवा नवजात किसी को भी जटिलता के कारण उच्च चिकित्सा संस्थान पर रेफर किया जाता है तो जटिलताओं का उल्लेख सॉफ्टवेयर में करने के पश्चात् भुगतान जहां प्रसव हुआ है उसी संस्थान द्वारा 48 घंटे के ठहराव के पूर्व भी किया जा सकता है।

32. अगर प्रसव वाहन जैसे--108/जननी एक्सप्रैस/एम्बूलेन्स/अन्य में परिवहन के दौरान रास्ते में ही हो जाता है तो प्रसूता व नवजात को चिकित्सा संस्थान पर भर्ती कर 48 घंटे तक आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं दी जाकर नियमानुसार जेएसवाई, शुभलक्ष्मी योजना का लाभ दिया जावेगा।
33. अगर लाभार्थी 48 घंटे पूर्व बिना बताये (Abscond) अथवा चिकित्सकीय सलाह के विपरित (LAMA) संस्थान से स्वेच्छा से चला जाता है एवं पुनः आकर प्रोत्साहन राशि की मांग की जाती है तो भी भुगतान देय नही होगा।
34. **विशेष परिस्थितियों में जैसे– घूमन्तु जाति से संबंधित महिलाऐ के प्रसव जिनका बैंक खाता नही है, बैंक द्वारा पेमेन्ट रिजेक्ट होने की स्थिति अथवा अन्य कोई विशेष परिस्थितिजन्य कारण होने पर राज्य इकाई द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् भुगतान क्रॉस चैक के माध्यम से किया जा सकेगा। यह प्रकरण केवल अपवादस्वरूप ही होगे अतः इन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावे।**
35. इन विशेष परिस्थितियों में जो भी भुगतान चैक के माध्यम से दिया जावेगा इस चैक का भुगतान संबंधी पूर्ण विवरण का इन्द्राज सॉफ्टवेयर में किया जावेगा।
36. जननी सुरक्षा योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना के समस्त प्रावधान पूर्ववत रहेगें।

दिनांक 21.07.2015 से 30.07.2015 तक Demo Software आपको Dry run हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। अतः इसमें समस्त भुगतान प्रक्रिया की गतिविधियां अपनाई जावे। परन्तु 31 जुलाई, 2015 रात 12:00 बजे से पूर्व तक होने वाले प्रसवों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान पूर्व अनुसार चैक के माध्यम से ही किया जावेगा।

Dry run (mock drill) & OJSPM संचालन के दौरान आने वाली किसी भी स्तर की समस्या हेतु राज्य स्तरीय हैल्प लाईन नम्बर 8290266669, 8290266668 अथवा परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य (9829096525), डॉ0 आर. के. जाट (जेएसवाई सैल –8094017424) एवं प्रेम शंकर (डेमोग्राफर सैल–9414254324) से संपर्क कर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित करावे।
3. निदेशक, वित्त।
4. निदेशक–आरसीएच।
5. परियोजना निदेशक– एमएच।
6. अतिरिक्त राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल, समस्त जिले।
8. जिला लेखा प्रबंधक, समस्त जिले।
9. खण्ड मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
10. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त जिले।
11. सलाहकार, आई.टी. को पालनार्थ हेतु।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)